न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 128/2024
ऑनलाईन नम्बर 2024/272

निर्णय दिनांक 27.04.2026

जगुराम पुत्र हजारीराम जाति नाई निवासी बाडेला तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़

—प्रतिवादी—

2. हनुमानाराम पुत्र हजारीराम 3. मदनलाल पुत्र हजारीराम 4. छोटूराम पुत्र हजारीराम जातियान नाई निवासीगण बाडेला तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 5. कालूराम पुत्र गोपालाराम जाति जाट निवासी निवासी धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 5. एच.डी. एफ.सी. बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ़।

—उपस्थितिः—

1. श्री मोहननाथ सिद्ध अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. श्री के.के. पुरोहित अभिभाषक प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6

वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 भू—राजस्व अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से दावा निम्न प्रकार से सादर प्रस्तूत है कि वादी की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 749/564 क्षेत्रफल 3.7300 हैक्टेयर बारानी वाके रोही ग्राम बाडेला तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अवस्थित है। वादी के पहचान एवं निवास संबंधित दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक इत्यादि में वादी का सही एवं शुद्ध नाम जगुराम अंकित चला आ रहा है। वादगत खेत की खातेदारी वादी के पिता हजारीराम के नाम दर्ज चली आ रही है । वादी के पिता हजारीराम के स्वर्गवास के पश्चात दिनांक 09.12.2010 को हल्का पटवारी ने गांव के ही गवाह के हस्ताक्षर से वादी के नाम जगदीश दर्ज कर दिया जबकि वादी के पहचान व निवास सम्बन्धी दस्तावेज, पेनकार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड में वादी का नाम जगुराम ही दर्ज है। हल्का पटवारी ने विरास्तन इतंकाल दर्ज करते समय वादी का नाम गांव के लोगो से ही पूछताछ कर वादी का बोलता नाम जगदीश दर्ज कर दिया। विरास्तन इंतकाल के समय वादी के द्वारा कोई लिखित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज हल्का पटवारी को नहीं दिया गया। वादी को वादगत खेत की राजस्व रिकार्ड से प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 27.06.2024 को लेने पर जानकारी हुई की वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज चला आ रहा है। वादी के पहचान व निवास सम्बन्धी दस्तावेज, पेनकार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड में वादी का नाम जगुराम ही दर्ज है। वादगत खेत खसरा नम्बर 749/564 तादादी 3.7300 हैक्टेयर रोही ग्राम बाडेला पर 1/4 संयुक्त हिस्सा की कृषि भूमि पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग वादी का चला आ रहा है। वादगत खसरा की भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी अपना सही नाम जगुराम अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है। वादगत भूमि में वादी का गलत नाम जगदीश अशुद्ध रूप में अंकित होने के कारण वादी को कृषि सुधार हेतु कई तरह की

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है। वादगत खसरा भूमि में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित कर दिया है इस बाबत वादी दिनांक 27.06.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 से निवेदन किया कि मेरा नाम जगुराम है जिसकी जगह लिपिकिय भूलवंश जगदीश अंकित हो गया है, इसलिए जगदीश की जगह जगुराम अंकित किया जावे जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी का सही नाम दर्ज करने से इन्कार कर दिया । व वादी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपका नाम सही अंकित व शुद्धिकरण करना सम्भव नही है। राजस्व रिकार्ड में उक्त संशोधन होने से प्रतिवादी व गौण प्रतिवादीगण के हितो पर कोई विपरित असर नही पड़ेगा, जबकि इसके विपरित सही नाम दर्ज नही होने से वादी को अपूरणीय क्षति होगी। वादी के पास वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम जगुराम दर्ज करवाने के लिए घोषणा की डिक्री के अलावा अन्य कोई अनुतोष नही है। वादगत खेत वादी की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त होने के कारण वादी को खिलाफ प्रतिवादी वादाधार हासिल है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 27.06.2024 को वादी का वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज नही करने से वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ वादहेतू हासिल है। गौण प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 को आवश्यक पक्षकार होने की वजह से दावा में पक्षकार संयोजित किया गया है। इनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वाद डिक्री फरमाया जाता है तो गौण प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। वादी द्वारा प्रस्तूत घोषणात्मक दावा में राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार है राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाने से पूर्व धारा 80 सीपीसी के तहत दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है वादी का दावा अर्जेन्ट नेचर व तुरन्त अनुतोंष प्राप्ति का होने के कारण धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तूत कर न्यायालय श्रीमान की अनुमति से यह दावा प्रस्तूत किया जा रहा है। वादगत खेत रोही बाडेला तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित होने से यह दावा श्रीमान्जी के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार का है। जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तूत किया जा रहा है। अतः दावा प्रस्तूत कर श्रीमानजी से निवेदन है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः—

(क) कि घोषित किया जावे कि वादगत खेत खसरा नम्बर 749/564 तादादी 3.7300 हैक्टेयर रोही ग्राम बाडेला मे वादी का नाम जगदीश की जगह जगुराम घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर अंकन किया जावे ।

(ख) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो या दोराने दावा हो जाये व भी वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से दिलवाया जावे ।

(ग) कि खर्चा मूकदमा वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से दिलवाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबाल जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीहात कायम नहीं की गई। वादी की ओर से साक्ष्यवादी PW-1 में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। वादी के बयान लेखबद्ध किये गये व वादी द्वारा दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। जिरह प्रतिवादीगण शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

एवं प्रतिवादीगण को वादी वाद स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने व वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 749/564 तादादी 3.7300 हैक्टेयर वाकेरोही बाडेला तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम "जगदीश" के स्थान पर "जगुराम" घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)